तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व वाद मु.न. 96/2018 अनवान मंगलाराम बनाम आदूराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए

17.02.2015

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान उपस्थित आये है। बहस उभयपक्षकारान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 15 व आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता पर सुनी गई।

प्रार्थी/प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि प्रस्तुत वादपत्र वादी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है एवं न ही वाद पत्र का सत्यापन वादी द्वारा किया गया है। वाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र संलग्न नहीं है न ही शपथ पत्र पेश किया गया है वाद पत्र के संलग्न वकालतनामा वादी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है। वाद पत्र विधि विरूद्ध होने एवं सत्यापन नहीं होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है। वाद पत्र हस्ताक्षरित नहीं होने एवं सत्यापन एवं शपथ पत्र नहीं होने एवं वकालतनामा पर वादी के हस्ताक्षर नहीं होने से वादी का वाद पत्र विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी/ वादी ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गयाकि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र पर वादी का अंगूठा निशानी होना सहवंश से रह गया था वादी अनपढ़ व्यक्ति है। वादी ने वाद पत्र पेश करने से पूर्व अपना वकील भी नियुक्त कर लिया था वाद पत्र तैयार होने के बाद वाद पत्र मुझे पढकर सुनाया व समझाया गया था परन्तु सहवन से मुझ वादी का अंगुठा निशानी वाद पत्र पर व वकालतनामा पर होने से रह गये थे। यह एक मानवीय भूल है। वादी इस वाद पत्र को सही एवं सत्य होना स्वीकार करता है। मुझ वादी ने आज दावा बाबत एक सत्यापन भी न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है। जो शामिल पत्रावली किया जा चुका है एवं प्रार्थी/ प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। एवं प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी का पेश किया गया।

विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 का अवलोकन कर लेना उचित रहेगा। जो निम्न प्रकार से है:-

आदेश 7 नियम 11 वादपत्र का नामंजूर किया जाना-वाद पत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जावेगा:-

(क) जहां वह वादहेतुक प्रकट नहीं करता है,

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है,

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प-पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प-पत्र के देने के लिये न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 12:07:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियम किया है, ऐसा करने में असफल रहता है,

(घ) जहां वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है,

(परन्तु मूल्याकंन की शुद्धि के लिए या अपेक्षित स्टाम्प– पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा नियत समय तब तक नहीं बढाया जाएगा जब तक कि न्यायलय का अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से यह समाधान नहीं हो जाता है कि वादी किसी असाधारण कारण से, न्यायालय द्वारा नियत समय के भीतर, यथास्थिति मूल्यांकन की शुद्धि करनें या अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने से रोक दिया गया था और ऐसे समय के बढाने से इंकार किए जाने से वादी के प्रति गंभीर अन्याय होगा)

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में आदेश 6 नियम 15 सीपीसी की पालना नहीं की गई है। वाद द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होने से आदेश 7 नियम 11 की परिधि में आता है। लिहाजा प्रार्थी/ प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है। वादी कानूनी प्रावधानों की पालना करतें हुए नया वाद प्रस्तुत करनें हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 12:07:42 IST
Reason: SelfAttested